Marks Normalization Document

अंक सामान्यकरण दस्तावेज़

Normalization of marks is the process of converting the marks obtained by students from boards other than **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** in the subjects concerned, comparable to that of **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh**
अंकों के सामान्यीकरण, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य बोर्डों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो कि हाईस्कूल विद्यालय और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के साथ तुलना में संबंधित विषयों में है।

Eligibility & Shortlisting Criteria:
पात्रता और शॉर्टलोस्टिंग मानदंड:

Shortlisting and Selection Criteria for candidates will done in two stages. Only the candidates obtaining a positive (greater than zero) marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biology will be considered for all the subsequent stages.
1. शार्टलिस्टिंग और चयन उम्मीदवारों के लिए मानदंड दो चरणों में किया जाएगा। केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / जीवविज्ञान में सकारात्मक (शून्य से अधिक) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही बाद के सभी चरणों के लिए माना जाएगा।

2- At different stages of the selection process **'Application Rating' (AR)** marks of an applicant will be used. An **applicant's AR** marks is the sum of the normalized marks 'A', and 'B' based on their percentage of marks obtained in the **10th** standard and the **12th**class standard respectively.
चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक आवेदक के 'एप्लिकेशन रेटिंग' (एआर) अंक का इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लिकेंट के एआर स्कोर में सामान्यीकृत अंक 'ए' और 'बी' का योग है, जो क्रमशः 10 th कक्षा और 12 th कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित है।

The marks in respect of candidates who have come from **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** will not be subjected to any Normalization. The marks obtained by such candidates in the subjects considered will be taken as such for ranking purposes.
द बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से आए उम्मीदवारों के संबंध में अंक किसी भी सामान्यकरण के अधीन नहीं होंगे। माना जाता है कि विषयों में ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए चिह्नों को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा

The **Normalization** of marks of candidates of other Boards would be carried out as per the formula given below.

नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार अन्य बोर्डों के उम्मीदवारों के अंकों का नार्मलाइज़ेशन किया जाएगा।

For Marks AR A (for 10th Std)

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 10th स्टैण्डर्ड)

The marks received at the actual board will be considered as standard on satisfying minimum eligibility criteria.

वास्तविक बोर्ड में प्राप्त अंक न्यूनतम पात्रता मानदंडों को संतोषजनक करने पर मानक माना जाएगा।

For Marks AR B (for 12th Std)

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 12th स्टैण्डर्ड)

This formula is arrived at through different stages as described below:

We have taken Average marks of candidates applying through The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh as Yup where

जैसा कि नीचे बताया गया है, यह सूत्र अलग चरणों के माध्यम से आया है:

हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तरप्रदेश के माध्यम से यूप के रूप में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के औसत अंक ले चुके हैं

Yup= Mean of Uttar Pradesh Board students' marks, to be calculated as

Yup= उत्तरप्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

Yup= {x1+x2+x3+……+xN)/N

Where x1, x2, x3 are eligible candidates from UP Board who have applied.

Yup={x1+x2+x3+……+xN)/N

जहां एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, यूपी बोर्ड से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Consider a candidate from any other Board who is eligible and has applied to the exam. Let us consider that average marks of applicants applying via that board is Yo where

किसी भी अन्य बोर्ड के उम्मीदवार पर विचार करें जो कि पात्र है और परीक्षा में आवेदन किया है। आइए हम विचार करें कि उस बोर्ड के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के औसत अंक Yo है जहां

Yo= Mean of Other Boards' students' marks, to be calculated as

Yo= {a1+a2+a3+……+aN}/N

Where a1, a2, a3 are eligible candidates from other board who have applied.

Yo= अन्य बोर्डों के छात्रों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

Yo= {a1+a2+a3+……+aN}/N

जहां a1, a2, a3 अन्य बोर्डों से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Normalizing Factor for the Other Board = Yo/Yup= k

अन्य बोर्ड के लिए सामान्यीकृत फैक्टर = Yo/Yup = k

The normalized marks of student at Other board= k*a1, k*a2, k*a3…….k*aN

which is AR Marks B of these Candidates.

अन्य बोर्ड पर छात्र के सामान्यीकृत अंक = k*a1, k*a2, k*a3…….k*aN जो इन उम्मीदवारों के एआर स्कोर बी है।

FSC (Final Marks of Candidate)= {w1*AR Marks A} + {w2*AR Marks B}

Where w1, w2 are percentage weightage assigned to AR Marks A and AR Marks B respectively.

एफएससी (फाइनल अंक ऑफ़ कैंडिडेट)=**{w1* AR Marks A} + {w2*AR Marks B}**

जहां w1, w2 प्रतिशत क्रमशः एआर स्कोर ए और एआर स्कोर बी को सौंपा जाता है।

Notes about the **Normalization** Norms:

नार्मलाइज़ेशन के बारे में नोट्स:

If any board/institution awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade-sheet, the candidate should obtain a certificate from the board/institution specifying the equivalent marks which should be used for filling the online application form. The original equivalence certificate needs to be submitted at the time of interview, if shortlisted for the same.

अगर कोई बोर्ड/इंस्टीट्यूट में केवल ग्रेड ही अंक पत्र पर दिये जाते है और उनके समकक्ष अंक प्रति"ात नहीं दिया जाता है तो वह छात्र/छात्राओं को संबंधित बोर्ड से समकक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा एवं यदि वे चयनित होते हैं तो वह अंकपत्र प्रवे"ा के समय साथ रखना होगा।